उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार - 249404

संख्याः 388/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा–2/2021–22 दिनांकः 30 सितम्बर, 2024

अंतिम रूप से अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची
असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान (Physics)

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021, के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान (Physics) विषय में विज्ञप्ति दिनांक 03 जून, 2024 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 18 जून, 2024 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन/वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण मा0 आयोग द्वारा निम्नानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	514995	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 06.06.2024 के साथ प्राचार्य एच0एन0बी0 राजकीय स्ना0 महाविद्यालय खटीमा (ऊधम सिंह नगर) द्वारा दिनांक 05.06.2024 को जारी उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालय में संविदा प्रवक्ता/विजिटिंग लेक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है जिसमें अभ्यर्थी की कार्यावधि दिनांक 23.11.2017 से अद्यतन (06.06.2024) उल्लिखित है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रेषित अभिलेखों के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र को अद्यतन कर पुनः प्रेषित किया गया है। जिसमें कार्यावधि दिनांक 23.11.2017 से दिनांक 06.06.2024 अंकित है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रेषित अनुभव प्रमाण पत्र भी इसी महाविद्यालय द्वारा जारी है तथा नियुक्ति की तिथि भी समान है जिसे विषय–विशेषज्ञों द्वारा विज्ञापन की अंतिम तिथि 24.12.2021 तक आंकलित करते हुए परीक्षण किया गया। जिसके आधार पर विषय–विशेषज्ञों द्वारा टीचिंग अनुभव श्रेणी में अभ्यर्थी द्वारा दावित 08 अंक के स्थान पर 7.5 अंक अनुमन्य किये गये हैं। **तदक्रम में PHYSICS विषय में GEN/UF श्रेणी के कट–ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
2.	515155	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रेषित अपने प्रत्यावेदन दिनांक 13.06.2024 के साथ अवार्ड प्रमाण–पत्र के सापेक्ष

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
		INTERNATIONAL E-CONFERENCE RECENT ADVANCES IN SCIENCE & TECHNOLOGY NOVEMBER 04-05, 2023 E-PLATFORM INDIA BEST ORAL PRESENTATION On the topic Non-Destructive Properties of Aerosols During Major Dust Storm Events over the Indo-Gangetic Basin Department of Physics, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya), VBS Purvanchal Univ. U.P India. संलग्न किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा संलग्न उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि विषय–विशेषज्ञों से उक्त प्रमाण पत्र पर दिनांक 09.08.2024 को परामर्श प्राप्त किया गया। विषय–विशेषज्ञों के अभिमतानुसार ***"प्रस्तुत प्रमाण पत्र का पंजीकरण राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होने के कारण अभ्यर्थी द्वारा संलग्न अवार्ड प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।"*** जिस कारण अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 53 अंक के स्थान पर 50 अंक होना है। PHYSICS विषय में OBC श्रेणी का कट–ऑफ स्कोर 53 है। अभ्यर्थी कट–ऑफ में स्थान धारित नहीं करता है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को PHYSICS विषय में OBC श्रेणी के कट–ऑफ स्कोर में स्थान धारित न करने के कारण अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
3.	515150	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 11.06.2024 के साथ सहायक कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की द्वारा दिनांक 07.11.2022 को जारी पीएच0डी0 संबंधी परिशिष्ट–03 प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र पूर्व में भी अभिलेखों के साथ संलग्न कर आयोग को प्रेषित किया गया था जिसका परीक्षण विषय–विशेषज्ञों से कराया गया था। विषय–विशेषज्ञों के परामर्शानुसार अभ्यर्थी द्वारा संलग्न पीएच0डी0 उपाधि भौतिक विज्ञान विभाग से धारित नहीं है। **तद्क्रम में विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।**
4.	514970	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 11.06.2024 के साथ दिनांक 02.05.2022 को जारी टीचिंग अनुभव संबंधी परिशिष्ट–06 प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र पूर्व में भी अभिलेखों के साथ संलग्न कर आयोग को प्रेषित किया गया था यद्यपि वह विज्ञापन में उल्लिखित प्रारूप पर नहीं था, तथापि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का परीक्षण विषय–विशेषज्ञों से कराया गया था। जिसे विषय–विशेषज्ञों द्वारा यू0जी0सी0 रेग्यूलेशन– 2018 के अनुरूप न होने के कारण वैध नहीं माना गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी के संबंध में मा0 आयोग के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुए**

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
		अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह अनर्ह किया गया है।
5.	514554	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.06.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
6.	514591	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.06.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
7.	514689	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.06.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
8.	514824	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.06.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
9.	514832	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.06.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
10.	514861	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.06.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
11.	515396	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.06.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
12.	515443	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.06.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**
13.	514902	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 03 जून, 2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.06.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। **तद्क्रम में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।**

<u>ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएच०डी० की साम्यता के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से पृच्छा की गई है</u>

क्र०सं०	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1.	514663	**असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विषय** के लिए दिनांक 03 जून, 2024 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनो पर मा0 आयोग द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2024 को प्रदत्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी अनुक्रमांक–514663 द्वारा पीएच0डी0 में धारित विषय **ADVANCE MATERIALS** की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (स्नातकोत्तर–भौतिक विज्ञान) से साम्यता होने अथवा न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से पृच्छा की गई है, जिसका प्रत्युत्तर आतिथि अप्राप्त है। उच्च शिक्षा विभाग से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी की अर्हता/अनर्हता पर मा0 आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।
2.	515057	**असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विषय** के लिए दिनांक 03 जून, 2024 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनो पर मा0 आयोग द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2024 को प्रदत्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी अनुक्रमांक–515057 द्वारा पीएच0डी0 में धारित विषय पदार्थ विज्ञान **METALLURGICAL ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCE.** की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (स्नातकोत्तर–भौतिक विज्ञान) से साम्यता होने अथवा न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से पृच्छा की गई है, जिसका प्रत्युत्तर आतिथि अप्राप्त है। उच्च शिक्षा विभाग से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी की अर्हता/अनर्हता पर मा0 आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।